

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Writ Petition No. 167/2025

1. Smt. Kajal W/o Rakesh Sain D/o Shri Mahesh Chand Sain, Aged About 31 Years, R/o Village Muhi, Tehsil Baswa, District Dausa (Raj.)
2. Lalaram Sharma S/o Shri Mohanlal Sharma, Aged About 29 Years, R/o Village Muhi, Tehsil Baswa, District Dausa (Raj.)

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary, Department Of Home Affairs, Government Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.
2. The Superintendent Of Police, Dausa, District Dausa.
3. The Nodal Officer, S.p. Office, Dausa.
4. Sho Police Station Baswa, District Dausa.
5. Rakesh Sain S/o Mohan Lal Sain, R/o Village Muhi, Tehsil Baswa, District Dausa.
6. Mohan Lal Sain S/o Unknown, R/o Village Muhi, Tehsil Baswa, District Dausa.
7. Mohra Devi W/o Mohan Lal Sain, R/o Village Muhi, Tehsil Baswa, District Dausa.
8. Padam Sain S/o Mohan Lal Sain, R/o Village Muhi, Tehsil Baswa, District Dausa.
9. Mahesh Chand Sain S/o Unknown, R/o Dwarapura, Presently R/o Sector- 26, Pratap Nagar, Jaipur.
10. Sunita Devi W/o Mahesh Chand Sain, R/o Dwarapura, Presently R/o Sector- 26, Pratap Nagar, Jaipur.
11. Tejas Kumar Sain S/o Mahesh Chand Sain, R/o Dwarapura, Presently R/o Sector- 26, Pratap Nagar, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Arvind Sharma

For Respondent(s) : Mr. Vivek Chaudhary, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**Order****09/04/2025**

विद्वान अधिवक्ता याचीगण को कार्यालय आपत्ति संख्या-1 व 2 पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण का तर्क है कि कार्यालय आपत्ति संख्या-1 के सम्बन्ध में उनकी ओर से नोडल अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक दौसा को भेजे गए प्रार्थना-पत्र की प्रति मय पोस्टल रसीदों की प्रतियां पेश कर रखी हैं तथा कार्यालय आपत्ति संख्या-2 के सम्बन्ध में उनकी ओर से रिट याचिका की मद संख्या 10 में अंकन किया हुआ है, अतः कार्यालय आपत्तियां दूर की जावें।

विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता याचीगण के निवेदनानुसार कार्यालय आपत्ति संख्या-1 व 2 रद्द की जाती हैं।

यह रिट याचिका याचीगण की ओर से प्रत्यर्थी संख्या 5 लगायत 11 की ओर से उन्हें जान एवं स्वतंत्रता का खतरा पैदा करने की धमकियां मिलने के कारण प्रत्यर्थी संख्या-1 लगायत 5 को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए जाने हेतु प्रस्तुत की है।

दोनों पक्षों को याचिका पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याचीगण का तर्क है कि याचीगण दोनों वयस्क हैं जिनकी आयु क्रमशः 31 एवं 30 वर्ष की है तथा वे 13.01.2025 से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तथा उनके मध्य इकरारनामा भी निष्पादित किया हुआ है। याची संख्या-1 काजल का विवाह उसके अवयस्क होते हुए अयाची संख्या-5 के साथ कर दिया गया था तथा अयाचीगण संख्या-5 से 12 उसके पति एवं ससुराल वाले हैं, जो उसे जबरन उसके पति के साथ रहने के लिए दबाव डाल रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, जिससे याचीगण की जान एवं स्वतंत्रता को खतरा पैदा हो गया है। अतः उन्हें अयाची संख्या-5 लगायत 12 से पुलिस सुरक्षा प्रदान की जावे। इस सम्बन्ध में उन्होंने नोडल अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक दौसा को सुरक्षा मुहैया कराने हेतु परिशिष्ट-3 पंजीकृत डाक से निवेदन-पत्र प्रेषित किया हुआ है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

उनका तर्क है कि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने इस प्रकार के मामलों में अयाचीगण को इस आशय के निर्देश जारी किए हैं कि वे याचीगण के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान करें तथा अन्य वांछित समुचित कदम उठावें।

विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त याचिका का विरोध किया। उनका तर्क है कि याची संख्या-1 विवाहित है जो पति से भिन्न व्यक्ति याची संख्या-2 के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। यह एक अनैतिक एवं अविधिपूर्ण कृत्य है जिसे न्यायालय सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। अतः याचिका निरस्त की जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने विवाहित जोड़ों की सुरक्षा के सम्बन्ध में न्यायिक विनिश्चय प्रकाश सिंह एवं अन्य-बनाम-यूनियन ऑफ इण्डिया में निर्देश दिए हैं तथा इस न्यायालय की समकक्ष पीठ ने न्यायिक विनिश्चय सुमन मीना एवं अन्य-बनाम-राज्य में उक्त विनिश्चय का हवाला देते हुए निम्न प्रकार से उसे उद्धृत किया है—

The State Government is directed to ensure that the existing procedures and mechanisms for the consideration and disposal of representations for enhanced police protection are brought in compliance with the directions stipulated in paragraphs 30.1 to 30.5.1 as well as 30.7 of this judgment, through the promulgation of the appropriate 'Standard Operating Procedure' (SoP). This Court clarifies that the aforementioned SoP shall specify, inter alia, the details of the online mechanism as specified in paragraph 30.1 of this judgment, as well as certain Whatsapp/ helpline numbers and a designated email ID where the respective persons who apprehend a threat to their safety may register their grievances. The State Government shall ensure that the aforementioned online mechanism and Whatsapp/helpline numbers and email ID are effective and functional at all times, and are accessible

to the respective persons who apprehend a threat to their safety. Further, the aforementioned SoP shall specify the contact numbers and details of the designated Nodal Officers. The State Government shall ensure that the aforementioned SoP is accessible to the police officers and visitors at every police station, and is publicised widely to the extent possible through publication in newspapers, on the appropriate social media handles etc.

अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय लता सिंह-बनाम-उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 2006 एससी 2522, एस. खुशबू-बनाम-कन्नाईम्मल 2010 (5) एससीसी 600, इन्द्रा सरमा-बनाम-वीकेवी सरमा (2013) 15 एससीसी 755 तथा शफीन जहान-बनाम-असोकन केएम एवं अन्य (2018) 16 एससीसी 368 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छानुरूप रहने को स्वतंत्र है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करने का किसी को अधिकार नहीं है। वे कानून के अंतर्गत अपने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति संरक्षण प्राप्त करने के अधिकारी हैं, भले ही दो वयस्क व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध असामाजिक माने जावें। इसके अतिरिक्त राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 29 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे।

हस्तगत प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में याचीगण के कथनों की सद्भाविकता व सत्यता के सम्बन्ध में कोई भी टिप्पणी व निष्कर्ष दिए बिना तथा उक्त विधिक स्थिति को देखते हुए अयाची संख्या-2 लगायत 4 को यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे याचीगण की ओर से अयाची संख्या-2 को प्रेषित पत्र परिशिष्ट-3 को विचार (consider) में लाएं व याचीगण की कथित असुरक्षा के सम्बन्ध में आकलन के पश्चात् असुरक्षा का तत्व पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर याचीगण के जीवन व स्वतंत्रता को किसी प्रकार की क्षति/हानि कारित नहीं होना सुनिश्चित करें।

इसी अनुसार याचिका का निस्तारण किया जाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचीगण के विरुद्ध लम्बित या प्रस्तुत होने वाली किसी दीवानी/आपराधिक कार्यवाही को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा एवं ऐसी कार्यवाही विधि अनुसार सम्पादित की जाएगी।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /205